

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/04/2016-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	रीता शांडिल्य	2003	10.05.2012
2.	ए. कुलभूषण टोपो	2004	28.09.2013
3.	नरेंद्र कुमार शुक्ला	2004	28.09.2013
4.	निरंजन दास	2004	28.09.2013
5.	एमिल लाकरा	2004	28.09.2013
6.	कुमारी जिनेविवा किन्डो	2004	10.02.2016
7.	उमेश कुमार अग्रवाल	2005	28.09.2013
8.	जनक प्रसाद पाठक	2007	10.02.2016
9.	संजय कुमार अलंग	2005	28.09.2013
10.	छत्तर सिंह देहरे	2005	28.09.2013
11.	टोपेश्वर वर्मा	2006	10.02.2016
12.	नीलम नामदेव एक्का	2006	10.02.2016


(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).